कार्यालयः– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मडराक,अलीगढ

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2008 (सामान्य चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.11.2008 एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय क विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद अलीगढ हेतु निर्धारित 192 पदों के सापेक्ष तृतीय अनन्तिम चयन सूची तक उपस्थित होने के उपरांत अवषेष रिक्त पदों हेतु प्रथम जॉच सूची के समस्त अवषेष अर्ह अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लगभग पांच गुना चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मैरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटट पर एवं जनपद की वेबसाइट **www.aligarh.nic.in** पर उपलब्ध है। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रू0 10/- के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फ़ोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निधारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र,जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण /शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र,वोटर आई कार्ड एवं सम्बन्धित **B.ED./B.P.ED.** कॉलेज को **N.C.T.E.** की मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फ़ोटोग्राफ,दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 10–08–09 से 11–08–09 के मध्य प्रातः 10:30 बजे संस्थान में उपस्थित हों। मूल प्रमाण पत्र वरीयता क्रम में स्वीकार किये जायेंगे।

चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची की कट ऑफ मैरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	268.48	Full	264.32	261.69	Full	Full
अनुसूचित जाति	227.63	223.13	232.01	224.84	Full	Full
अन्य पिछडा वर्ग	254.15	241.62	252.82	253.12	196.85	209.31

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों स भिन्न
श्रवणह्रास पुरूष	240.40 (15 गुना)

- जारी की गयी चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। उपरोक्त सूची मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते है, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः- तृतीय अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से वे अभ्यर्थी जो तत्समय मूल अभिलेख एवं शपथ पत्र जमा करने हेतु उपस्थिति नहीं हो सके थे, को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि वे इच्छुक हों तो उन्हें उपरोक्त तिथियों में जमा करन हेतु जांच हेतु उपस्थित होनेका अतिरिक्त अन्तिम अवसर इस विज्ञप्ति के माध्यम से इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि उनकी श्रेणी मे रिक्ति शेष रहने की स्थिति मे ही उनके प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा। इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी, क्योकि उन्हें पूर्व में ही विभिन्न माध्यम से सूचित करके अवसर दिया जा चुका है। उस तिथियों में भी उनके द्वारा संस्थान में उपस्थित न होने पर यह मान लिया जायेगा कि वे इस जनपद में अपने अभ्यर्थन हेतु कदापि इच्छुक नहीं है और इस जनपद में उनका किसी प्रकार का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मडराक,अलीगढ

पृ0सं0/डायट/ /2009–10 तद्‌दिनांकः-

प्रतिलिपिः- सम्पादक अमर उजाला/दैनिक आज को इस आषय से प्रेषित है कि वे उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उ0प्र0 के समस्त संस्करणों में न्यूनतम स्थान एवं न्यूनतम दरों पर प्रकाषित कर बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मडराक,अलीगढ